



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम. चाईबासा का कार्यालय।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक : (बी)/रा०

प्रेषक,

उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

दिनांक - ०१ जून, 2020।

विषय : सोनुवा-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित 36.74 हे० अर्थात् 90.79 एकड़ भूमि का अतिक्रमणमुक्त के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक-1374 दिनांक 17.06.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-292 दिनांक-20.06.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सोनुवा-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए वनभूमि अपयोजन हेतु मौजा-कासियापेचा, थाना नं० 18, खाता नं० 02, खेसरा संख्या-570 अंतर्गत प्रस्तावित 36.74 हे० अर्थात् 90.79 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावार मालिक किस्म जमीन जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज है। वर्णित भूमि अधिभार एवं अतिक्रमण मुक्त है।

विश्वासभाजन

२०

उपायुक्त

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक- 684(B)/रा० दिनांक- 22.06.2020
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२२/०६/२०

उपायुक्त

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।